सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 255 राँची, शुक्रवार, 12 चैत्र, 1938 (श०) / 1 अप्रैल, 2016 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग ।

संकल्प

19 मार्च, 2016

विषयः मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड,राँची के आधुनिकीकरण हेतु विशेष पैकेज के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संख्या-944- 06/उ0नि0/एच0ई0सी0 द्वारा भूमि हस्तांतरण कमिटि का गठन-41/2012 नगर विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा राँची को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 एवं 11 दिसम्बर, 2015 को हुई बैठक में मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के 341 एकड़ भूमि प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्रांक-201 दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है।

2. मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची ने पत्रांक- PRD/15/819 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के द्वारा इकाई में किये जा रहे आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार को मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के

341 एकड़ भूमि mutually agreed terms and conditions के आधार पर Revival Package-2015 देने हेतु अनुरोध किया गया मे0 भारी अभियंत्रण निगम, लिमिटेड, राँची के पत्रांक- HEC/CMD/PS/15-03 दिनांक 2 जनवरी, 2016 के द्वारा पुनः सूचित किया गया है कि कंपनी का Revival इकाई के आधुनिकीकरण किये बिना संभव नहीं है।

3. पुनः अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक- HEC/CMD/PS/16-48 दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा 341+315.3 एकड़ भूमि कुल 656.3 एकड़ भूमि झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव के अलावा उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण एच0ई0सी0 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा किया गया है।

4. मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक HEC/CMD/PS/15.3 दिनांक 02 जनवरी, 2016 के कंडिका-1.16 में यह अंकित किया गया है कि SBICAP द्वारा एच0ई0सी0 के आधुनिकीकरण हेतु परियोजना लागत रू0 1311.47 करोड़ बताई गई है। एच0ई0सी0 द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रस्तावित भूमि surplus land नहीं है। एच0ई0सी0 उक्त भूमि को एच0ई0सी0 के आधुनिकीकरण के नीति के तहत् राज्य सरकार को देना चाहती है।

5. मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची प्रदत्त भूमि प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रस्ताव के विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हेतु उद्योग विभाग के अधिसूचना संख्या-3675 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 द्वारा एक समिति का गठन किया गया।

6. दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को हुई उक्त समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

i. मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा प्रत्यर्पित किये जाने वाले भूमि Airport, Railway Station एवं राँची शहर के निकट अवस्थित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे उपयुक्त पाया गया।

ii. उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के पुनर्वास पैकेज-2009 के अंतर्गत निर्धारित terms and condition के अनुसार प्रस्तावित भूमि को वापस लिया जाय।

iii. मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा पूर्व में 2035 एकड़ भूमि terms and condition के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। पैकेज के अन्तर्गत इस प्रस्तावित 341 एकड़ भूमि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

iv. इस प्रकार प्रत्यर्पित होने वाली 341 एकड़ भूमि का मूल्य पूर्व पैकेज में निर्धारित मूल्य के आधार पर होगा। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उस भूमि का मूल्य पूर्व में निर्धारित किया गया था। इसलिए भूमि का वर्तमान मूल्य Wholesale Price Index के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

7. मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक- HEC/CMD/PS/15-465 दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रत्यर्पित किये जाने वाले भूमि का दर निर्धारण करने हेतु एक बैठक निर्धारित किया जाय। एचई0ई0सी0 के HEC/CMD/PS/15-03 दिनांक 02 जनवरी 2016 की कंडिका 1.17 में यह उल्लेख किया गया है कि "Present value of land can't be arrived using WPI."

8. मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के उक्त पत्र के आलोक में अपर मुख्य सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 24 फरवरी, 2016 को हुई बैठक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या- W.P.(C) No.-4513/2004 में दिनांक 28 अप्रैल, 2015 एवं 27 अक्टूबर, 2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

"Keeping in view the above facts, the committee recommends that the revival package under consideration may use the same principles which were followed in the revival package previously approved to HEC as mentioned in the order of Hon'ble High Court Ranchi in this matter.

Department of Industries approved the rehabilitation package and through letter no 2683 dated 26.12.2007 without reference to land value, Thus, the date of order of Honable High Court may be considered as base year for calculation of land price, Further, Section 30(3) of the Right to Fair Compensation Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 provides for arriving at the present market value of land from the market value calculated at the time of notification of SIA study under section 4(2) at 12% interest rate. Therefore, the Committee recommends that same principle may be used to arrive at the present market values of these lands at twelve percent per annum.

The following is the model calculation for arriving at present land value:-

(Capital + Interest): 50+ (50x12%X10) = Rs. 110 lakh (assuming 10 years time)

The land acquisition cost of these lands through LA Act will be higher than the land value arrived above. The exact land value may be calculated by the concerned Department at the time of sanction of revival package. The committee also observes that the release of revival package amount should be linked to the area of encumbrance free land transferred to concerned department.

The Committee also recommends that this land is needed for the project of State Government and the Jharkhand Industrial Policy 2012 provides for taking preventive measures to prevent industrial sickness. Thus, in the public interest, committee recommends that Para 6.8 (भविष्य में मे0 भारी अभियंत्रण लिमिटेड, रांची द्वारा शेष भूमि पर कार्रवाई Deed of Conveyance के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी) as approved by cabinet in the meeting held on 13.2.2009 may be appropriately modified with the approval of the cabinet.

Keeping in view of the above, the committee recommends total 675.43 (656.30 + 19.13) acres of land belonging to HEC may be taken over by State Government as per the rate recommended above and following the similar procedure adopted earlier.

The Committee unanimously agreed to send these recommendation to the State Government for suitable action as deemed fit.

9. झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 की कंडिका- 30.2 एवं 30.2.1 में वर्णित प्रावधान के क्रम में-

30.2 - The State Government intends to take the following measures for prevention of sickness and revival of willing and viable sick industries.

30.2.1- Periodic coordination meetings with the industrialists/entrepreneurs and financial institutions at the IADA level under the Chairmanship of Managing Director for Industries under their command area and at the divisional level under the Chairmanship of the Divisional Commissioner for the rest of areas shall be reviewed to ensure early detection of sickness/problem and preventive measures for the same shall be taken.

10. उक्त के आलोक में राज्य की एक बहुमूल्य इकाई को बीमार होने से बचाने के लिए मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड] राँची को राशि अनुदान के रूप में नहीं दिया जाएगा बल्कि मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड] राँची की भूमि के बदले समिति द्वारा बैठक कर निर्धारित किये गये मूल्य के आधार पर दिया जाएगा।

11. (क) अपर मुख्य सचिव] उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 24 फरवरी, 2016 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय को अनुमोदित करते हुए मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा राज्य सरकार को Revival Package हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित 675.43 एकड़ भूमि में से 341 एकड़ भूमि नगर विकास को Smart City हेतु, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा तथा 19.13 एकड़ भूमि पुलिस मुख्यालय एवं टी0ओ0पी0 हेतु, जिसका भुगतान गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शेष 315.3 एकड़ भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरण किया जाएगा, जिसका भुगतान राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाएगा, जो Greater Ranchi Development Authority (GRDA) के साथ मिलकर राजधानी के विकास हेतु कार्य करेगी। Revival Package हेतु भूमि के दर का निर्धारण कमिटि द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1893 की धारा-3 के परन्तुक के अनुसार जिन दस्तावेजों में सरकार को ही स्टाम्प शुल्क देने का दायित्व है उन दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। अतः विषयगत मामले में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क देय नहीं होगा।

(ख) महामहिम राज्यपाल के परामर्शी परिषद् की दिनांक 13 फरवरी, 2009 को हुई बैठक में यह स्वीकृत ''भविष्य में मे0 भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा शेष भूमि पर कार्रवाई Deed of conveyance के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी'' को विलोपित समझा जाय तथा एच0ई0सी0 को देय वर्तमान revival package पूर्व में दिये गये Revival Package का अंग माना जाऐगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
उदय प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 255—50 ।